

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 80/13(2013/00114) वाद पत्र.

उनवान

1-अमरा आत्मज गिरधारी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

- 1-बंशीलाल आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2-मांगीलाल आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-जगदीश आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-पारस आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5-चांदीदेवी पत्नि गोपी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 6-नाथीदेवी पुत्री गोपी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 7-मोहन आत्मज गिरधारी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के बजाय
- 7/1-पानी पत्नि मोहन माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 8-भैरा आत्मज गिरधारी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 9-सहकारी विकास बैंक शाखा गंगापुर् जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
- 10-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 15.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प नांदशा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 799 रकबा 0.21 है, भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 324 पर स्थित है। जिसमे वादी का 1/5 हिस्सा तथा रहन का इन्द्राज यथावत रखते हुए कब्जे एवं हिस्से के आधार पर स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 15.06.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ

इस जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


आदेश

ग्राम नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 338 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है—

क्र. कृषको का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (है०)	किस्म
01 अमरा पिता गिरधारी माली सा देह खातेदार	799/3	0.0360	
	योग 1	0.0360	
02 बंशीलाल मांगीलाल जगदीश पारस पिता नारू 1/4	799/2	0.0360	
चांदी देवी पत्नी गोपी नाथी देवी पुत्री गोपी 1/4	799/4	0.1080	
पानी देवी पत्नी मोहन 1/8 अमरा पिता गिरधारी 1/8 भेरा पिता गिरधारी 1/4 माली सा देह खातेदार रहन स.भू.वि बैंक शाखा गंगापुर हिस्सा भेरा पिता गिरधारी पर			
	योग 2	0.1440	
03 शामलाती पूर्ववत बदस्तुर	799/1	0.0300	
	योग 1	0.0300	

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 15.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


राजलक्ष्मी गहलोट
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

उनवान

1-अमरा आत्मज गिरधारी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

वादी

बनाम

1-बंशीलाल आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

2-मांगीलाल आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

3-जगदीश आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

4-पारस आत्मज नारु माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

5-चांदीदेवी पत्नि गोपी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

6-नाथीदेवी पुत्री गोपी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

7-मोहन आत्मज गिरधारी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.) मृतक के बजाय

7/1-पानी पत्नि मोहन माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

8-भैरा आत्मज गिरधारी माली निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

9-सहकारी विकास बैंक शाखा गंगापुर जिला भीलवाडा बजरिये शाखा प्रबन्धक

10-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- 80/13(2013/00114) वाद पत्र.

निर्णय दिनांक:- 15.06.2018

वाद में आज तारीख 15.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 की राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत नांदशा के समक्ष अंतिम निपटारो के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 338 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र.	कृषको का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (है0)	किस्म
01	अमरा पिता गिरधारी माली सा देह खातेदार	799/3	0.0360	
योग		1	0.0360	

बल्लीलाल मांगीलाल जगदीश पारस पिता नारु 1/4

799/2 0.0360

चांदी देवी पत्नी गोपी नाथी देवी पुत्री गोपी 1/4

799/4 0.1080

पानी देवी पत्नी मोहन 1/8 अमरा पिता गिरधारी

1/8 भेरा पिता गिरधारी 1/4 माली सा देह खातेदार

रहन स.भू.वि बैंक शाखा गंगापूर हिस्सा भेरा पिता

गिरधारी पर

योग 2 0.1440

03 शामलाती पूर्ववत बदस्तुर

799/1 0.0300

योग 1 0.0300

अंतिम डिक्री आज तारीख 15.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रायपुर